निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 श्रावण 1940 (श0)

(सं0 पटना 713) पटना, वृहस्पतिवार, 26 जुलाई 2018

वाणिज्य–कर विभाग

———————

अधिसूचना

26 जुलाई 2018

अधिसूचना संख्या 13/2018–राज्य कर (दर)

एस०ओ० 211, दिनांक 26 जुलाई 2018—— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (1), धारा–11 की उपधारा (1), धारा–15 की उपधारा (5) और धारा–16 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एत्‌दद्वारा, वाणिज्य–कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017–राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या–554, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित, में आगे और भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :–

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

क. मद (i) और कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा -

(3)	(4)	(5)
“(i) किसी सेवा के द्‌वारा या उसके एक हिस्से के रूप में ऐसी वस्तु की आपूर्ति जो कि ऐसे खाद्‌य प्रदार्थ या अन्य वस्तु के रूप में हो जिसका मानव द्‌वारा भोज्य प्रदार्थ के रूप में उपभोग किया जाता हो या जो अन्य कोई पेय के रूप में हो,	2.5	बशर्ते कि ऐसी सेवाओं की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं और

जिसे किसी रेस्तरां, ईटिंग ज्वाइंट जिनमें मैस, कैंटीन भी आते हैं, के द्‌वारा परोसा जाता हो, चाहे इनका उपभोग उसी परिसर में जहां कि ऐसे खाद्‌य प्रदार्थ या मानव के द्‌वारा भोज्य प्रदार्थ के रूप में उपभोग किए जाने वाली अन्य वस्तु या पेय की आपूर्ति की जा रही हो, होता हो या उससे बाहर होता हो, उनसे भिन्न जो कि किसी होटल, इन्स, गेस्ट हाउस, क्लब्स, कैंप साइट्‌स या अन्य वाणिज्यिक स्थान के रूप में हैं, जिनका उपयोग आवास या ठहरने के स्थान के रूप में होता हो, जिनका ठहरने की किसी भी यूनिट का घोषित टैरिफ प्रति यूनिट प्रतिदिन 7500/- रुपए और इससे अधिक या समतुल्य हो स्पष्टीकरण 1: इस प्रविष्टि में किसी कैंटीन, मैस, कैफेटेरिया या किसी संस्थान जैसे कि स्कूल, कालेज, अस्पताल, औद्‌योगिक इकाई, कार्यालय के भोजन वाले स्थान में की जाने वाली ऐसी आपूर्ति भी शामिल है जो कि किसी ऐसे संस्थान या किसी अन्य व्यक्ति द्‌वारा ऐसी आपूर्ति के लिए ऐसे संस्थान के साथ हुए अनुबंध के तहत की जा रही हो, बशर्ते कि ऐसी आपूर्ति उत्सव या समारोह आधारित न हो । स्पष्टीकरण 2: इस प्रविष्टि में वे आपूर्तियां नहीं आएगी जो कि क्रम संख्या 7 (v) में उल्लिखित हैं । स्पष्टीकरण 3: "घोषित टैरिफ में" ठहरने की यूनिट (जो कि किराए पर ठहरने के लिए दी गई हो) में उपलब्ध कराई जाने वाली सभी सुविधाओं जैसे कि फर्नीचर, एयरकंडीशनर, रेफ्रिजरेटर या अन्य कोई सुविधा पर लगने वाले सभी प्रभार भी आते हैं लेकिन ऐसी यूनिट पर प्रकाशित प्रभार पर दिए जाने वाले किसी 'डिस्काउंट' को शामिल नहीं किया जाएगा ।		सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट को न लिया गया हो । (कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें)
(iक) भारतीय रेल या इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन लि. या उनके लाइसैंसियों के द्वारा गाड़ी में या प्लेटफार्म पर खाद्य प्रदार्थों, जिनका कि मानव के द्वारा भोज्य प्रदार्थ के रूप में उपभोग किया जाता हो, की या किसी भी पेय की आपूर्ति ।	2.5	बशर्तें कि ऐसी सेवाओं की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओं पर भारित

		इनपुट टैक्स की क्रेडिट को न लिया गया हो । (कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें)

ख. मद (ii), (vi) और (viii) में,-

(क) "घोषित टैरिफ", जहाँ कहीं वे आते हों, शब्दों के स्थान पर "आपूर्ति मूल्य" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) स्पष्टीकरण को निरसित कर दिया जाएगा;

ग. मद (v) और कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया : -

(3)	(4)	(5)
"(v) किसी सेवा या उसके एक हिस्से के तहत खाद्य प्रदार्थ या अन्य वस्तुएं जिनका कि मानव द्वारा भोज्य प्रदार्थ के रूप में उपभोग किया जाता हो या किसी पेय की किसी प्रदर्शनी हॉल, समारोह, सम्मेलन, मैरिज हॉल और अन्य आउटडोर/इनडोर समारोह में की जाने वाली आपूर्ति, जो कि उत्सव या समारोह के अवसर पर होती हो ।	9	-";

(ii) क्रम संख्या 9 के समक्ष कॉलम (3) में मद (vi) के स्थान पर और कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(vi) माल का बहु साधन द्वारा परिवहन स्पष्टीकरण- (1) "बहु साधन द्वारा परिवहन" से अभिप्राय है माल का कम से कम, परिवहन के दो प्रकार के साधनों द्वारा माल को उठाने के स्थान से माल के डिलीवरी के स्थान पर बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर के द्वारा परिवहन; (2) "परिवहन के साधन के प्रकार" से अभिप्राय माल को सड़क, हवाई जहाज, रेल, अंतर्देशीय जल मार्ग या समुद्र के मार्ग से परिवहन किए जाने से है;	6	-

(3) "बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो,- क) ऐसा अनुबंध करता है जिसके तहत वह किराए के एवज में बहुप्रकार के साधनों के द्वारा परिवहन करने का वचन देता है; ख) प्रधान के रूप में कार्य करता है न कि किसी कंसाईनर, या कंसाईनी या किसी कैरियर, जो कि बहु प्रकार के परिवहन में भागीदारी निभाते हों, के एजेंट के रूप में काम करता हो और जो कि उक्त अनुबंध को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता हो ।		
(vii) माल के परिवहन की सेवाएं जो कि उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v) और (vi) में उल्लिखित सेवाओं से भिन्न हों।	9	-";

(iii) क्रम संख्या 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान के पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा : -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"22	शीर्ष 9984 (दूरसंचार प्रसारण एवं सूचना आपूर्ति सेवाएं)	(i) केवल ई-बुक की आपूर्ति स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, ई-बुक्स से अभिप्राय किसी मुद्रित पुस्तक (जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 4901 के अंतर्गत आती है) के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण की ऑनलाइन आपूर्ति से है जिसे कंप्यूटर पर या हाथ में लेकर पढ़े जाने वाले उपकरण से पढ़ा जा सकता है ।	2.5	-
		(ii) दूरसचार प्रसारण एव सूचना आपूर्ति सेवाए उनसे भिन्न जो कि ऊपर (i) में उल्लिखित हैं ।	9	-".

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं0सं0 ब्रिकी–कर/जी0एस0टी0/विविध–21/2017 (खंड–2)–13)]

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

डॉ प्रतिमा,

वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

26 जुलाई 2018

एस०ओ० 211, दिनांक 26 जुलाई 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं0सं0 ब्रिकी–कर/जी0एस0टी0/विविध–21/2017 (खंड–2)–13)]

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

डॉ प्रतिमा,

वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 26th July 2018

Notification No. 13/2018-State Tax (Rate)

S.O. 211, dated the 26th July 2018— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the Commercial Taxes Department notification No.11/2017- State Tax (Rate), dated the 29thJune, 2017, published in Bihar Gazette, Extraordinary, *vide* number 554, dated the 29thJune, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

(i) against serial number 7, in column (3)-

a. for item (i), and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(i) Supply, by way of or as part of any service, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, whether for consumption on or away from the premises where such food or any other article for human consumption or drink is supplied, other than those located in the premises of hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of any unit of accommodation of seven thousand five hundred rupees and above per unit per day or equivalent; *Explanation 1:* This item includes such supply at a canteen, mess, cafeteria or dining space of an institution such as a school, college, hospital, industrial unit, office, by such institution or by any other person based on a contractual arrangement with such institution for such supply, provided that such a supply is not event based or occasional. *Explanation 2:*This entry excludes the supplies covered under the Sl. No. 7 (v) *Explanation 3:*"declared tariff" includes charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)]
(ia) Supply, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, by the Indian Railways	2.5	Provided that credit

or Indian Railways Catering and Tourism Corporation Ltd. or their licensees, whether in trains or at platforms.		of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)]”;

b. in items (ii), (vi) and (viii),-
   A. for the words “declared tariff” wherever they occur, the words “value of supply” shall be substituted;
   B. the Explanation shall be omitted;
c. for item (v), and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(v) Supply, by way of or as part of any service, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, at Exhibition halls, Events, Conferences, Marriage Halls and other outdoor/indoor functions that are event based and occasional in nature.	9	-”;

(ii) against serial number 9, for item (vi) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(vi) Multimodal transportation of goods. *Explanation.-* (a)“multimodal transportation” means carriage of goods, by at least two different modes of transport from the place of acceptance of goods to the place of delivery of goods by a multimodal transporter; (b) “mode of transport” means carriage of goods by road, air, rail, inland waterways or sea; (c) “multimodal transporter” means a person who,- (A) enters into a contract under which he undertakes to perform multimodal transportation against freight, and; (B) acts as principal, and not as an agent either of the	6	-

consignor, or consignee or of the carrier participating in the multimodal transportation and who assumes responsibility for the performance of the said contract.		
(vii) Goods transport services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) above.	9	-";

(iii) for serial number 22 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(1)	**(2)**	(3)	(4)	(5)
"22	**Heading 9984** (Telecommunications, broadcasting and information supply services.)	(i) Supply consisting only of e-book *Explanation.-* For the purposes of this notification, "e-books" means an electronic version of a printed book (falling under tariff item 4901 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)) supplied online which can be read on a computer or a hand held device.	2.5	-
		(ii) Telecommunications, broadcasting and information supply services other than (i) above.	9	-".

2. This Notification shall come into force with effect from 27th July, 2018.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-2)—13)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,,

Commissioner-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 713-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in